<u>न्यायालयः— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-208/15</u> संस्थापित दिनांक-20.08.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जि	
	अभियोजन
विरुद्ध	
1—जशरथ उर्फ जस्सू पुत्र रामचरण प्रजापति उम्र 37 साल निवासी—आरा मशीन के पास ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0	
राज्य द्वारा आरोपी द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। :– श्री सिराज पठान अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 16.02.2017 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 354ए, 456, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 12.05.2015 के मध्य रात्रि 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम प्राणपुरा स्थित फरियादी के मकान में परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया एवं परिवादी के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया तथा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 16.02.2017 को फरियादिया मुन्नीबाई एवं अभियुक्त जशरथ उर्फ जस्सू के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त जशरथ उर्फ जस्सू को भा.द.वि की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया मुन्नीबाई ने अपने पित शंकर सेन देवर पवन व आशीष के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.05.2015 के मध्य रात्रि 12:00 बजे वह व उसके पित तीनो बच्चे

//2//दाण्डिक प्रकरण कमांक—208/15

उनके कमरे के बाहर आगंन में सो रहे थे, रात करीब 12 बजे मोहल्ले का जशरथ उर्फ जस्सू प्रजापित उनके घर के आगंन में घुस आया व उसकी खाट पर बैठकर खाट हिलाई वह एकदम उठी तो दशरथ उर्फ जस्सू ने उसका हाथ बुरी नियत से पकडकर उससे चैंट गया, वह डरकर चिल्लाई तो उसका पित शंकर व देवर जाग गये जिन्होंने जशरथ को पकड लिया। फिरयादिया मुन्नीबाई ने उसकी चप्पलो से मारा। मोहल्ले के मनोज प्रजापित व राजा प्रजापित ने घटना देखी है। जशरथ उर्फ जस्सू कह रहा था आज रिपोर्ट की तो रास्तें में जान से खत्म कर दुंगा। रात में जशरथ भीड होने के कारण भाग गया था, डर के कारण वे रात को रिपोर्ट करने नहीं आए। सुबह जब रिपोर्ट करने आ रहे थे तब आरोपी जशरथ उर्फ जस्सू रास्ते में मिल गया उसे पकडकर थाने ले आए। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.05.2015 के मध्य रात्रि 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम प्राणपुरा स्थित फरियादी के मकान में परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया ?
- 2 क्या, घटना, दिनांक, समय स्थान पर परिवादी के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

05— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। मुन्नीबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना करीब 2 वर्ष पहले की होकर रात्रि करीब 9—10 बजे की है। घटना दिनांक को वह

//3//दाण्डिक प्रकरण कमांक—208/15

व उसका पित व तीनो बच्चे घर के बाहर आंगन में सो रहे थे। तभी कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसकी खिटया के पास बैठ गया, वह एकदम से उठी तो उस अज्ञात व्यक्ति को देखकर चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पित शंकर सेन आ गया, जिन्हे देखकर वह अज्ञात व्यक्ति उसे धक्का देकर भाग गया जिससे उसे चोट आ गई थी। उक्त घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है। रिपोर्ट के बाद पुलिस घटना स्थल पर आई थी और नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसकी डॉक्टरी जांच हेतु अस्पताल भेजा था।

- 06— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि रात करीब साढे 12 बजे मोहल्ले का जशरथ उर्फ जस्सू प्रजापित आया और उसकी खाट के पास बैठ गया था। इस बात से इंकार किया कि जशरथ खाट हिलाने लगा। इस बात से इंकार किया कि जशरथ उसे बुरी नियत से उसके पैर हाथ पकड़कर उससे चैंट गया। इस बात से इंकार किया कि उसके पित व देवर पवन सेन ने जशरथ को पकड़ लिया। इस बात से इंकार किया कि उसने उसकी चप्पलो से मारपीट कर दी थी। इस बात से इंकार किया कि हल्ला सुनकर मोहल्ले के मनोज प्रजापित व राजाराम आ गये थे जिन्होंने घटना देखी हैं। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका का आरोपी जशरथ उर्फ जस्सू से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।
- 07— अभियोजन अधिकारी शंकर अ०सा०2, पवन कुमार अ०सा०3 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपी को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया था। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। शंकर अ०सा०2, पवन कुमार अ०सा०3 उनके मुख्य परीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि रात करीब 12:30 बजे मोहल्ले का जशरथ उर्फ जस्सू उनके घर में आया था और मुन्नीबाई से चैंट गया था तथा इस बात से भी इंकार किया है कि उक्त साक्षी ने आरोपी जशरथ को पकड लिया था।
- 08— मुन्नीबाई अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बिल्क उसके न्यायालियन कथनो में व्यक्त किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया था और साक्षिया की खिटया के पास बैठ गया था।सािक्षया के जागने पर वह धक्का देकर भाग गया था धक्का लगने के कारण गिरने के कारण चोट आ गई थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी शंकर अ0सा02, पवन कुमार अ0सा03 जोकि चक्षुदर्शी साक्षी है ने भी घटना का लेसमात्र समर्थन नहीं किया है बिल्क उक्त साक्षीगण ने न्यायालयीन कथनो में बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति था जो घर में आ गया था। प्रतिपरीक्षण में पीडिता

//4//दाण्डिक प्रकरण कमांक—208/15

मुन्नीबाई अ0सा01, शंकर अ0सा02, पवन अ0सा03 ने उनके प्रतिपरीक्षण में बताया कि घटना वाले दिन जशरथ उर्फ जस्सू उनके घर में नहीं घुसा था बिल्क कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि 12.05.2015 के मध्य रात्रि 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम प्राणपुरा स्थित फरियादी के मकान में परिवादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी, उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया एवं परिवादी के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया। अतः आरोपी जशरथ उर्फ जस्सू पुत्र रामचरण प्रजापित उम्र 35 साल निवासी—ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0 को धारा 354ए, 456 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

- 11- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।
- 12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0